प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर** वर्ष **2022**
   प्र0इ0रि0 सं. ....471../2022.....दिनांक.....13/12/2022.....

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **(संशोधन)अधि. 2018**..... धाराये.....**7**
   (II) * अधिनियम..... .....धारायें ....
   (III) * अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....245..... समय.....6:30PM
   (ब) ' अपराध घटने का वार.....**मंगलवार**.....दिनांक....06.10.2022 समय.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 04.10.2022

4. सूचना की किस्म :-लिखित/मौखिक- **लिखित**

5. घटनास्थल :-
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-30 किलोमीटर
   (ब) पता..... .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम श्री देवराज
   (ब) पिता/पति का नाम श्री गोपी बैरवा
   (स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 42 साल.....
   (द) राष्ट्रीयता .....**भारतीय**.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय .....**कृषि**.....
   (ल) पता - गोपी बैरवा की ढाणी गांव जाबड तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -
   1– **श्री रोहित पारीक पुत्र श्री अवधेश पारीक उम्र 31 वर्ष नि. ग्राम टूंटोली तहसील चाकसू जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का हीरापुरा तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर।**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
   .....----.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
   .....रिश्वती राशि .....10,000/- रूपये

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 10,000/-

11. ' पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

निवेदन है कि दिनांक 04.10.2022 को परिवादी देवराज बैरवा पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र 43 साल निवासी गोपी बैरवा की ढाणी गांव जाबड तह0 माधोराजपुरा जिला जयपुर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''सेवा में श्रीमान अतिरिक्त अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर देहात विषय-पटवारी रोहित पारीक हल्का हीरापुरा पंचायत समिति माधोराजपुरा जिला जयपुर के द्वारा रिश्वत मांगने के क्रम में। महोदय निवेदन है कि मै देवराज बैरवा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा उम्र 43 साल निवासी गांव जाबड तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर का रहने वाला हूं मेरे चाचा जी ने अपनी खेत में मुख्य मंत्री साथी योजना में खेत तलाई (फार्म पोंड) का निर्माण करवाया है मेरे चाचाजी को साथी योजना के तहत सब्सीडी मिलेगी ग्राम सेवक ग्राम जाबड ने मुझे सब्सीडी के रूपये प्राप्त करने के लिए पटवारी की रिपोर्ट लाने के लिए कहा था मेरे चाचा रामचन्द्र पुत्र गोपीराम ने हक त्याग मेरे पिता लक्ष्मीनारायण के पक्ष में आपसी बंटवारे के तहत किया है हक त्याग करीब 1/1/2 बीघा जमीन का किया गया था जिसका नामान्तरण मेरे पिता श्री लक्ष्मीनारायण के नाम होना था जो आज तक नहीं किया मै पटवारी रोहित पारीक से मिला तो पटवारी उक्त दोनो जायज कामों के 20 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांगे थे बाद में मेरे द्वारा कम कराने पर 10 हजार रूपये मेरे जायज काम के मांग रहा है मै अब उसको रिश्वत नहीं देना चाहता हूं कानूनी कार्यवाही करने कि कृपा करे मेरे परिवार का व मेरे चाचाजी रामचन्द्र का राजकाज का काम मै ही करता हूं मेरे चाचाजी के लडका नहीं है। दिनांक 04.10.2022 प्रार्थी देवराज बैरवा पुत्र लक्ष्मीनारायण उम्र 43 साल निवासी गोपी बैरवा की ढाणी गांव जाबड तह0 माधोराजपुरा जिला जयपुर मों0 8000266385 एसडी देवराज बैरवा''

इस पर श्री संजय कुमार उप अधीक्षक पुलिस द्वारा नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 06.10.2022 को करवाई गई। परिवादी श्री देवराज बैरवा व आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी श्री देवराज बैरवा ने आरोपी पटवारी श्री रोहित पारीक से अपने काम के लिए कहा कि ''सर अब तो करा दो तो प्रतिउत्तर में आरोपी पटवारी ने कहा कि **''बैठ माखों भी कर कांई'' (बैठ हमारा भी कर कुछ) जिस पर परिवादी ने आरोपी पटवारी को कहा कि ''थांको भी कर दूंगा''(आपका भी कर दूंगा) जिस पर आरोपी ने कहा कि ''तो आधा पडदा तो कर''** जिस पर परिवादी ने आरोपी से अपने काम के बदले में रिश्वत में दिए जाने वाले रूपए के बारे में पूछा तो आरोपी पटवारी श्री रोहित पारीक ने परिवादी को कहा कि '' **आपणी दस की बात हुई'' (अपनी दस की बात हुई) इस प्रकार दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री रोहित पारीक ने परिवादी के काम के एवज में 10,000/रूपये रिश्वत की मांग की है।**

मुताबिक फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के नियमानुसार सीडीयां बर्न की जाकर शील चीट मोहर की गयी। दिनांक 11.10.2022 को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा रिश्वती मे दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने पर मुताबिक फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट के अनुसार कार्यवाही करते हुये श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यगण परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर रेनवाल मांझी पहुंचे। मौके पर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी को आरोपी को रिश्वति राशि देने हेतु पटवार भवन रेनवाल मांझी के लिए रवाना किया ।परिवादी ने वापस आकर बताया कि पटवारी श्री रोहित पारीक पटवार घर में मौजूद नहीं है। परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर 8000266385 से आरोपी श्री रोहित पारीक के मोबाईल फोन 9079249160 पर वार्ता हुई तो आरोपी ने बताया कि मैं आज बाहर हूं, पटवार घर में नहीं आउंगा, कल आउगा तथा आरोपी श्री रोहित पारीक ने अन्य व्यक्ति को रिश्वती राशि देने के लिए कहा जिस पर परिवादी ने कहा कि आप कल जब पटवार घर में आओगे तब आपको ही दे दूंगा। उक्त रिकार्ड वार्ता को विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। आरोपी के नही मिलने पर ट्रेप कार्यवाही नही होने पर सभी वापस ब्यूरों कार्यालय आ गये।

दिनांक 12.10.2022 को श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यगण परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर रेनवाल मांझी पहुंचे। जहां पर पटवारी श्री रोहित पारीक का पटवार भवन में नहीं होना ज्ञात हुआ तथा राजकार्य से बाहर जाना ज्ञात हुआ। शाम तक आरोपी पटवारी श्री रोहित पारीक कार्यालय में नहीं आया। इस पर श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप सामग्री के ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचे।

दिनांक 17.10.2022 को श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम रेनवाल मांझी पहुंचकर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर रिश्वती राशि को देने हेतु परिवादी को पटवार घर रेनवाल मांझी में भेजा गया। परिवादी श्री देवराज करीब 5 मिनट बाद ही बिना कोई ईशारा किये ही पटवार घर के बाहर आ गया जिससे पूर्व सुपुर्दशुदा विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर श्री संजय कुमार उप अधीक्षक पुलिस ने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि पटवारी श्री रोहित पारीक पटवार घर में नहीं है अभी कही बाहर गया हुआ है कार्यालय बंद होने के समय तक वापस पटवार घर मे आ सकता है। इस पर ट्रेप पार्टी द्वारा गोपनीयता बनाते हुए मय हमराहीयान व परिवादी के मुकिम रहे। आरोपी के नहीं आने पर वापस ब्यूरो कार्यालय आये।

श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यगण दिनांक 18.10.2022 को ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय से रवाना होकर रेनवाल मांझी पहुंचे तथा परिवादी को रिश्वती राशि देने हेतु आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी के पास भेजा गया।

परिवादी श्री देवराज करीब 25 मिनट बाद ही बिना कोई ईशारा किये ही पटवार घर के बाहर आ गया जिससे श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक ने पूर्व सुपुर्दशुदा विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं पटवार भवन के अन्दर गया तो मुझे रोहित पारीक पटवारी मिल गया जिससे मैने वार्ता की तो उसने रिश्वत के पैसे स्वयं लेने से मना कर दिया और अपने अधीनस्थ काम करने वाले रतन को देने के लिए कहा है मैं जौ का कटटा लाने की बात कह कर बाहर आया हुं इस पर श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को पुनः पटवार भवन में रिश्वती राशि देने हेतु भेजा गया।

परिवादी श्री देवराज करीब 20 मिनट बाद ही बिना कोई ईशारा किये ही पटवार घर के बाहर आ गया जिससे श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक ने पूर्व सुपुर्दशुदा विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैं पटवार भवन के अन्दर श्री रोहित पारीक पटवारी के बतायेनुसार रिश्वती राशि देने के लिए उसके अधीनस्थ कर्मचारी श्री रतन के पास पहुंचा तो श्री रतन को शक हो गया इसलिए उसने मेरे से रिश्वत राशि नहीं ली तथा हाथ का ईशारा कर रिश्वत नहीं लेना बताया। श्री रतन के मना करने के पश्चात मैं श्री रोहित पारीक पटवारी के पास गया जिसने मुझे कहा कि तहसीलदार मैडम का फोन आया है इसलिए मुझे जाना है और रोहित पारीक पटवारी वहां से चला गया। ट्रेप कार्यवाही नहीं होने पर ट्रेप पार्टी वापस ब्यूरो कार्यालय आ गई।

तत्पश्चात तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय में उपस्थित परिवादी के समक्ष उक्त ट्रैप कार्यवाही में दिनांक 11.10.2022 तथा 18.10.2022 की विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। मुताबिक फर्द ट्रांसकिप्ट वार्ता के नियमानुसार सीडीयां बर्न की जाकर शील चीट मोहर की गयी।

दिनांक 11.10.2022 को रिश्वत लेन देन से पूर्व परिवादी तथा आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता में जब परिवादी श्री देवराज बैरवा द्वारा आरोपी पटवारी श्री रोहित पारीक से पटवार घर आने के बाद मे और रिश्वत लेन देन के क्रम मे वार्ता करी तो आरोपी पटवारी श्री रोहित पारीक ने परिवादी को कहा कि **''आज ही आ जाओ मुकेश कन दे दाज्यो ''**(आज ही आ जाओ मुकेश के पास दे जाना) जिस पर परिवादी श्री देवराज बैरवा ने कहा कि **''मुकेश कहां कठे मिले न मिले''**(मुकेश कहां कही मिले न मिले) जिस पर आरोपी पटवारी श्री रोहित पारीक ने परिवादी को कहा कि **''मिल जायलो मुकेश उंठे ही छ ''**(मिल जायेगा मुकेश वही है) जिस पर परिवादी श्री देवराज बैरवा ने कहा कि **''चलो काल आंउ छु''** (चलो कल आता हुं) तत्पश्चात वार्ता के

दौरान आरोपी श्री रोहित पटवारी ने परिवादी को कहा कि **''हीरालाल जी उंठे ही छ बिन दे देता''**(हीरालाल जी वही है उनको दे देते) जिस पर परिवादी श्री देवराज बैरवा ने आरोपी श्री रोहित पारीक को कहा कि **'' अरे यार कमती बती कोई जो बी आपा आपणा हिसाब सु करूला ''**(अरे यार कम ज्यादा कोई भी अपन अपने हिसाब से करेगे) जिस पर आरोपी श्री रोहित पारीक ने कहा कि **''ठीक है चलो'' इस प्रकार आरोपी पटवारी श्री रोहित पारीक ने रिश्वत लेने मे सतर्कता बरतते हुये रिश्वती राशि अपने परिचित व्यक्ति को दिलवाना चाह रहा था।**

तत्पश्चात दिनांक 18.10.2022 को परिवादी श्री देवराज बैरवा तथा आरोपी श्री रोहित पारीक के आमने सामने हुई वार्ता के दौरान आरोपी श्री रोहित पारीक ने परिवादी श्री देवराज बैरवा को कहा कि **''बा न दे दिज्यो रतन जी न मै खन्दा दींगो अबार है ना''** (उनको दे देना रतन जी को मैं भेज रहा हुं अभी) जिसके बारे में **परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी रोहित पारीक ने रिश्वत अपने हाथ में नहीं ली तथा अपने आफिस में काम करने वाले व्यक्ति रतन को देने के लिए कहा था तथा रतन को रिश्वत लेने हेतु मेरे पास भेजने के लिए कहा था। लेकिन श्री रतन ने रिश्वती राशि लेने से मना कर दिया था।**

इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र पर रिश्वत मांग सत्यापन से पाया गया है कि आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी, पटवार हल्का हीरापुरा तहसील माधोराजपुरा जिला जयपुर द्वारा परिवादी श्री देवराज बैरवा के कार्य जिसमें उसके चाचाजी द्वारा मुख्य मंत्री साथी योजना में खेत तलाई (फार्म पोंड) का निर्माण करवाया था इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सीडी के रूपये प्राप्त करने के लिए पटवारी की रिपोर्ट व परिवादी के चाचा रामचन्द्र पुत्र गोपीराम द्वारा हक त्याग परिवादी के पिता लक्ष्मीनारायण के पक्ष में आपसी बंटवारे के तहत किया है हक त्याग करीब 1/1/2 (डेढ) बीघा जमीन का किया गया था जिसका नामान्तरण परिवादी के पिता श्री लक्ष्मीनारायण के नाम होना था जिसके एवज में आरोपी पटवारी श्री रोहित पारिक द्वारा 10,000 रूपये की रिश्वत मांग की गयी है और चतुराई बरतते हुये स्वयं द्वारा रिश्वती राशि अपने हाथ मे नही लेते हुये अन्य व्यक्तियों को दिलवाये जाने का प्रयास किया है तथा शक होने पर बाद मे रिश्वती राशि नही ली है। इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन रिकार्ड वार्ता तथा रिश्वत लेन देन के क्रम मे श्री रोहित पारिक पटवारी से परिवादी की रिकार्ड हुयी वार्ता से आरोपी श्री रोहित पारिक पटवारी पटवार हल्का हिरापुरा पंचायत समिति माधोराजपुरा जिला जयपुर द्वारा परिवादी के पैण्डिंग कार्य की एवज मे रिश्वत मांग व रिश्वत अपने परिचित व्यक्तियों के माध्यम से लेने हेतु कहना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री रोहित पारीक पटवारी पटवार हल्का हिरापुरा पंचायत समिति माधोराजपुरा जिला जयपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की गई।

मानवेन्द्र सिंह
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रोहित पारीक पुत्र श्री अवधेश पारीक, पटवारी, पटवार हल्का हीरापुरा तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 471/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 4031-34 दिनांक 13.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

13.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।